न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0—48 सन् 2022

प्रमोद कुमार सिंह.....................................वादी।

बनाम

सतीश कुमार सिंह..............................प्रतिवादी।

दिनांक— 10.05.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त आवेदन दिनांक 30.01.2024 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी को वाद की जानकारी हो जाने के बाद सिड्यिुल नं0 03 में ईट, बालू, गिट्टी इत्यादि गृह निर्माण सामग्री एकत्रित कर निर्माण करने वास्ते अमादे हैं। इस तरह प्रतिवादी के नाजायज कार्यवाही के वजह से विवादित एराजी का स्वरूप बदल जाएगा। इसके लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करके विवादित एराजी का वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर मंगाना जरूरी है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्रतिवेदन मंगाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन को कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर तकरारी एराजी के वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी ईट, बालू, गिट्टी वगैरह समानात गिराकर गृह निर्माण कार्य करने के लिए अमादे है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णय हेतु तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 30.01.2024 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3000/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री मृत्युंजय कुमार को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।